



कार्यालय-नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

भूमि सर्वेक्षण  
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक- 2152 /12-1 :देहरादून: दिनांक: 25 मई, 2026

सेवा में,

सचिव,  
वन एवं पर्यावरण,  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तड़ीगांव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।  
(ऑनलाईन प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/10700/2015)

सन्दर्भ :- उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण के पत्रांक 157/X-4-15/1(64)/2015 दिनांक 30.03.2015.  
महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 30.03.2015 के सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ का पत्रांक 7272/12-1 दिनांक 25.04.2026 व 8040/12-1 दिनांक 23.05.2026 के द्वारा अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र०	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.87 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि रू० 26,55665.00 (एन०पी०वी० हेतु रू० 13,52565.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू० 5,53410.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू० 8,00000.00) जमा की जा चुकी है। भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी के पत्र सं० 1446/सात-95/ 2014-15 दिनांक 20.07.2015 को 3.870 है० को हस्तान्तरण नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है। (संलग्नक-1)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है। (संलग्नक-2)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०स०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या -5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि रू० 26,55665.00 (एन०पी०वी० हेतु रू० 13,52565.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू० 5,53410.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू० 8,00000.00) जमा की जा चुकी है। साथ ही प्रस्तावक द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई दरों पर भी शेष धनराशि (रू० 13,03048.00 मात्र) जमा कर दी गयी है। (संलग्नक-3)
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त शर्त मान्य है। (संलग्नक-4)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी अलग निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० कॉम्प्लेक्स	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एन०पी०वी०, प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-5)

	फेज-01 लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त मान्य है। (संलग्नक-6)
7	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के समस्त अभिलेख संलग्न है। (संलग्नक-7)
8	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में नीहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त मान्य है। (संलग्नक-8)
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त मान्य है। (संलग्नक-9)

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुपालन आख्या को संस्तुति सहित इस आशय से अग्रसारित किया जा रहा है कि उपरोक्त के आलोक में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित, 2023 के अंतर्गत वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

*Moshi*  
(मीनाक्षी जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :- 2152 /12-1 (दे0दू0) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड, देहरादून।
2. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
5. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

*Moshi*  
(मीनाक्षी जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक: 8040 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 23 मई, 2026।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तड़ीगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० 10700/2015)।

सन्दर्भ :- नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड का पत्रांक 2114/12-1 दिनांक 21.05.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तांतरण प्रकरण में इस कार्यालय की पत्र सं० 7272/12-1 दिनांक 25.04.2026 द्वारा प्रेषित आख्या में जमा की गयी धनराशि का विवरण टंकण त्रुटि के कारण गलत अंकित हो गया था। प्रकरण में कुल जमा की गयी धनराशि के विवरण के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि "नोडल खण्ड, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, देहरादून के पत्रांक 1546/एन०पी०वी० दिनांक 27.05.2015 द्वारा UTR No. SBIN 215147701748 से आवश्यक धनराशि रु० 2705975.00 (एन०पी०वी० हेतु रु० 1352565.00, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रु० 553410.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रु० 800000.00) जमा की जा चुकी है। एवं बढ़ी हुई दरों पर एन०पी०वी० हेतु रु० 1303048.00 की शेष धनराशि भी उत्तराखण्ड कैम्पा के खाता सं० 150896110700636 में चालान द्वारा दिनांक 20.03.2024 को जमा की जा चुकी है।"

अतः उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- 8040 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।


प्रभागीय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़  
आ.का.के.रे.

आ.का.के.रे.  
25-5-26

### प्रमाण पत्र -3

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगाँव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।

प्रमाणित किया जाता है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई0ए0एस0-556 एवं भारत सरकार पत्र सं0-5-3/2007-एफ0सी0 दि0-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि नोडल खण्ड अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड देहरादून के पत्रॉक 1546/एन0पी0वी0 दि0-27-05-2015 द्वारा UTR No SBIN 215147701748 से आवश्यक धनराशि रू0 2705975.00(एन0पी0वी0 हेतु रू0 1352565.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु रू0 553410.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू0 800000.00) जमा की जा चुकी है। एवं बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 हेतु रू0 1303048.00 की धनराशि भी उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0-150896110700636 में चालान द्वारा दि0-20/03/2024 को जमा करा दी गई है। की शर्त मान्य है।

  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
पिथौरागढ़

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-225234

पत्रांक:- 7272/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 अप्रैल, 2026।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमार्क वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० 10700/2015)।

सन्दर्भ:- उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 157/X-4-15/1(64)/2015, दिनांक 30.03.2015 6617/12-1 दिनांक 02.05.2025 व पत्रांक 809/12-1 दिनांक 16.08.2023।

महोदय,

उपरोक्त उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्रों द्वारा विषयक प्रकरण की अनुपालन आख्या पूर्व में प्रेषित की गयी है, जिसमें वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है। पुनः अनुपालन आख्या समस्त प्रमाण पत्रों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है-

S.NO	अधिसूचित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.87 हे० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्मायित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड के पत्रांक 1546/ एन०पी०वी० दिनांक 27.05.2015 द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि ₹० 2655665.00 (एन०पी०वी० हेतु ₹० 1352565.00 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु 503100.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु ₹० 800000.00) जमा की जा चुकी है। भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी के पत्र सं० 1446/सात-95/2014-15 दिनांक 20.07.2015 को 3.870 हे० को हस्तान्तरण नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित करने सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही कर दी गयी है।
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों पर समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	मार्ग के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या -5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जाएगी।	नोडल खण्ड कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड के पत्रांक 1546/ एन०पी०वी० दिनांक 27.05.2015 द्वारा UTR NO SBIN 215147701748 Date 27.05.2015 द्वारा आवश्यक धनराशि ₹० 2655665.00 (एन०पी०वी० हेतु ₹० 1352565.00 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु 503100.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु ₹० 800000.00) जमा की जा चुकी है। साथ ही प्रस्तावक द्वारा एन०पी०वी० की बढ़ी हुई दरों पर भी शेष धनराशि (₹० 1303048.00 मात्र) जमा कर दी गयी है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है (सलग्न)।

प्रभागीय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़  
आ.का.कें.

अनुप्राप्त/नेह  
19-5-26

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या-5-3 /2007- एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिए गये आदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी अलग निधियों प्रतिपूर्ति पीधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0-एस0बी0-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकर्म), ब्लॉक-11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स फेज-01 लोधी रोड नई दिल्ली- 110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराए जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	एन0पी0वी0, प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि की पावती की छायाप्रति व ड्राफ्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।	भू-वैज्ञानिक की शर्तें मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के समस्त अभिलेख संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्रस्ताव में नीहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्तें मान्य है
9.	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्तें मान्य है।

अतः उपरोक्त कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।  
संलग्न:-चार प्रतियों में।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:-7272 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लोकनिर्माण विभाग  
पिथौरागढ़।

E-mail - pdpwpdpth@rediffmail.com

पत्रांक /

दिनांक 20/4/2026

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगॉव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु।

सन्दर्भ:- ऑन लाइन में प्राप्त ई0डी0एस0 की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

ऑन लाइन में प्राप्त ई0डी0एस0 की अनुपालन के क्रम में पूर्व में प्रेषित अनुपालन आख्या को मय संलग्नकों के पुनः प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नक उरोक्तनुसार। (घांन्व-2 प्रतियों में)

अनुपालन आख्या के प्रभाव पल रहे

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
पिथौरागढ़।

पत्रांक 920 / 22 पति

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
3. सहायक अभियन्ता तृतीय प्रा0ख0लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।
4. खण्डीय अमीन प्रा0ख0लो0नि0वि0 पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
पिथौरागढ़।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,  
पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।  
E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com, Fax/ 05964-225234

पत्रांक 4536/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 17 जनवरी, 2026।

सेवा में

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय-

जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम तडीगांव, तहसील पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक मैला मोटर मार्ग का तडीगांव मोटर मार्ग तक विस्तार, निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में चयनित सी०ए० क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं० 10700/2015)।

सन्दर्भ-

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 3094/12-1 दिनांक 30.06.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभावित 1.935 हे० वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश सं० 1446/सात-95/2014-15 दिनांक 20.07.2015 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम तडीगांव, तहसील पिथौरागढ़ के खाता सं०-35 श्रेणी 9(3)ड (बंजर कायिल आबाद) खेत सं० 797 रकबा 0.381 हे०, 799 न० रकबा 0.144 हे०, 801 न० रकबा 1.981 हे०, 820 न० रकबा 1.003 हे०, 821 न० रकबा 0.361 हे० अर्थात् कुल 3.87 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तांतरण/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रस्तावित भूमि में कोई भी ऐतिहासिक स्थल, मंदिर/मस्जिद/ कब्रिस्तान/चारागाह/पनघट आदि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित की गई उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 यथासंशोधित (केंद्रीय अधिनियम सं० 16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा(1) के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना के ड्राफ्ट का प्रारूप हिन्दी/अंग्रेजी में एवं डिजिटल एवं जियोरिफ्रेंस मैप तथा प्रस्ताव की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त नामान्तरित/हस्तांतरित भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 यथासंशोधित (केंद्रीय अधिनियम सं० 16 वर्ष 1927) की धारा-29 की उपधारा-01 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में अग्रोत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न-

यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

संख्या- 4536/12-1 दिनांकित।

प्रतिकृति- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-225234

पत्रांक:- 6617 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 02, मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तड़ीगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं0 10700/2015)।

संदर्भ:- प्रस्तावक विभाग/प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ का पत्रांक 654/22याता दिनांक 22.04.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक प्रकरण में एन0पी0वी0, सी0ए0 एवं अन्य मदों में पूर्व में जमा की गयी धनराशि परिवेश पोर्टल अंतर्गत Paid Show हो चुकी है तथा वर्तमान में विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

अवगत कराना है कि प्रकरण में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के आधार पर शेष धनराशि भी प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है, जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 7119/12-1 दिनांक 23.04.2024 द्वारा पूर्व में सूचित किया गया है। साथ ही प्रकरण की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 809/12-1 दिनांक 16.08.2023 द्वारा पूर्व में प्रेषित की गयी है।

उक्त आख्याएं पुनः संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,  
(आशुतोष सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- 6617 /12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।  
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को उपरोक्त क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण की अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल में भी अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(आशुतोष सिंह)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

### प्रमाण पत्र-1

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगाँव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग की शर्त मान्य है के पक्ष में प्रस्तावित भूमि के बदले 3.870 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षो का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि( वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संसोधित ) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। तथा 6 माह में आरक्षित/ संरक्षित वन भूमि घोषित किष जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि नोडल खण्ड, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड देहरादून के पत्रांक 1546/एन0पी0वी0 दि0-27-05-2015 द्वारा UTR No SBIN 215147701748 से आवश्यक धनराशि रू0 2705975.00 (एन0पी0वी0 हेतु रू0 1352565.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 553410.00 एवं पथ वृक्षारोपण हेतु रू0 80000.00) जमा की जा चुकी है।

एवं बढी हुई दरों पर एन0पी0वी0 हेतु रू0 1920956.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1559345.00 कुल रू0 3480301.00 की धनराशि भी उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0-150896140805902 में चालान द्वारा जमा करा दी गई है।


चयनित भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण जिलाधिकारी के पत्र सं0 1446/सात-95/2014-15 दि0-20-07-2015 द्वारा 3.870 हे0 को हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की स्वीकृति प्राप्त है। खसरा खतौनी की नकल अपलोड की गई है।

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -2

कार्य का नाम:- जलपद पिथौरामढ में चण्डाक मैला तडीगाँव मोडमार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का शैर चानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन ।


प्रमाणित किया जाता है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि( वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संसोधित ) जमा की जायेगी। की शर्त मान्य है।

  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
पिथौरामढ

प्रमाण पत्र -3

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगाँव मोड़मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन ।

प्रमाणित किया जाता है प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202 /1995 के अन्तर्गत आई०ए०एस०-556 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ०सी० दि०-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि नोडल खण्ड अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड देहरादून के पत्रांक 1546/एन०पी०वी० दि०-27-05-2015 द्वारा UTR No SBIN 215147701748 से आवश्यक धनराशि रू० 2705975.00(एन०पी०वी० हेतु रू० 1352565.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु रू० 553410.00 एवं पथ वृक्षरोपण हेतु रू० 80000.00) जमा की जा चुकी है। एवं बढी हुई दरों पर एन०पी०वी० हेतु रू० 1920956.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु रू० 1559345.00 कुल रू० 3480301.00 की धनराशि भी उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं०-150896140805902 में चालान द्वारा जमा करा दी गई है। की शर्त मान्य है।

  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -4

कार्य का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगोव मोठमार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हेठ वन भूमि का नैर यानिकी कार्यों हेतु लोठनिठविठ को प्रत्यावतन ।

प्रमाणित किय्या जाता है प्रयोक्ता अगिकरण इस आशय हेतु बचन बद्ध है कि सक्षम स्तर से यदि एनठपीठवीठ की दरसे में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अगिकरण द्वारा जमा की जायेगी। की शर्त मान्य है।

अधिशसी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोठनिठविठ  
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -5

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगोव मोठमार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हेठ वन भूमि का नैर वानिकी कर्यों हेतु लोठनिठविठ को प्रत्यार्वतन ।


प्रमाणित किय्या जाता है कि प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भारत सरकार के पत्र संठ-5-3/2007-एफठसीठ,दिठ-05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशों के अनुसार एनठपीठवीठ तथा दूसरी अलग निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्ध निकस्य के लेखा संठ-एसठवीठ-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सीठजीठअठठकॉम्प्लेक्स फेज-01 लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा कराने के उपरान्त ही भावती की छायाप्रति जमा की गई। धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एनठपीठवीठ,क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण,तथा अन्य देय धनराशि का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी। का विवरण संलग्न है।की शर्त मान्य है।

अधिशारी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोठनिठविठ  
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -6

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगाँव मोठमार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का सैर दलिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन ।


प्रमाणित किया जाता है प्रसोवता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं सू-वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।की शर्त मान्य है।

  
अधिशारी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -7

कार्य का नाम:- जनापद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगॉव मो0मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे0 वन भूमि का गैर खानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन ।



प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।की शर्त मान्य है।

  
अधिशारी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0  
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -8

कार्य का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगाँव मोड़मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का नैसर्गिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन ।



प्रमाणित किया जाता है प्रयोज्य एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने का अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है। की शर्त मान्य है।

  
अधिसाक्षी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
 पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र -9

कार्य का नाम:- जनसह पिथौरागढ़ में चण्डाक मैला तडीगोंव मोडमार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का सैर बान्चिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। की शर्तें मान्य है।

  
अधिशाली अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
 पिथौरागढ़

आदेश

3346  
21/1/15

वन एवं भूविभाग अनुभाग-4 उत्तरखण्ड शासन सहसंयुक्त एवं संयोजकता विभाग द्वारा वन भूमि का हस्तांतरण/नामान्तरण कार्य हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों की विभिन्न गांवों में आ रही वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की सहायता/संरक्षित के आधार पर उक्त गांवों की कुल 24.690 हे० सिविल, वृक्षविहिन भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	संकेत का नाम	ग्राम/पट्टी का नाम	क्षेत्रफल/क्षेत्रफल	सिविल भूमि का क्षेत्रफल	सिद्धान्तिक स्वीकृत निर्गत पत्र संख्या
1	सिनाली-निमकोली-जमखंडी	जमखंडी/बकीतट	5220 हे०		121/X-4-15/1(30)/2015 दिनांक 27.03.2015
2	सिनाली-जोधपुरान	गाँव/सुकोली	5940 हे०		174/X-4-15/1(65)/2015 दिनांक 01.04.2015
3	सण्डाक-मेइला-तडीगांव	तडीगांव/धनोडा	3870 हे०		157/X-4-15/1(64)/2015 दिनांक 30.03.2015
4	कारगाव-सरीकाण्डा	गोगना/गोगना	9.680 हे०		152/X-4-15/1(62)/2015 दिनांक 30.03.2015
कुल			24.690 हे०		

राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार उक्त क्रमांक 01 एवं 04 में अंकित मोटर मार्ग निर्माण में आ रही वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की सहायता/संरक्षित के आधार पर उक्त गांवों की कुल 24.690 हे० सिविल, वृक्षविहिन भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तांतरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।  
दिनांक जुलाई 16, 2015

(सुशील कुमार)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।  
संख्या-1446/सात-95/2014-15

दिनांक जुलाई 20 2015

1. प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
प्रभागाव वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
4. उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
5. तहसीलदार पिथौरागढ़ को प्ररनगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/नामान्तरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

AE 11/12/V/3017 L.N. 3346/22 पता. N. 22/1/15

वृषज कृष्ण  
सापकिडी के.

(सुशील कुमार)  
जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

Handwritten signature/initials.

उद्धरण/नकल खतीनी (गैर जमींदारी विनाश) फसली 1419  
 ग्राम- तड़ीगोंव रा0 उप निरी0 क्षेत्र -घनीझ तहसील व जिला पिथौरागढ़।  
 श्रेणी- 9(3)क कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर काबिल आबाद)

खाता खतीनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम/पिता का नाम और निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	प्रत्येक खाते के गाटे का खसरा नम्बर	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाला अधिकारी का पद	विवरण विशेष
1	2	3	4	5	6	7-12	13
35	बंजर काबिल आबाद (उत्तराखण्ड सरकार)	1374 फ80पू0	3 4 6 16 17 ↓ 781 783 797 799 801 803 807 814 818 820 821 837 ↓ 2748 2758 2763 2765 ↓ 3738 3741 3743	0.005 0.005 0.702 0.421 0.071 ↓ 0.216 0.241 0.381 0.241 2.101 1.043 0.411 0.070 0.035 2.387 0.361 0.033 ↓ 0.021 1.314 0.155 0.065 ↓ 0.019 0.144 0.196		राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-13(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार के क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्र संख्या-1446/राज-95/2014-15 दिनांक जुलाई 20, 2015 के खेत नं0-797 रकबा 0.381है0, 799नं0 रकबा 0.144है0, 801नं0 रकबा 1.981है0, 820नं0 रकबा 1.003है0, 821नं0 रकबा 0.361है0 कुल 3.870है0 अतिरिक्त वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पत्र में इस्तेमाल/नामानाकरण अमलदरामद किया। ह0अरसद राजस्व उपनिरीक्षक घनीझ	
		योग-	397	44.485है0			

श्री. ए. ए. अग्रवाल

( गोपाल सिंह खीनिया )  
 राजस्व उप निरीक्षक-घनीझ  
 तहसील व जिला- पिथौरागढ़।  
 02/06/2017





Phone :- 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand  
Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-mail: [cecdpwwddn@rediffmail.com](mailto:cecdpwwddn@rediffmail.com)

पत्रांक / एन०पी०वी०

दिनांक  
3240  
14/7/15  
222111

संवा में,  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
भूमि संवर्क्षण निदेशालय, वन विभाग,  
हादिसा नगर, फॉरिस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के भुगतान के संबंध में।

संदर्भ - इस कार्यालय का पत्रांक 1546/एन०पी०वी०, दिनांक 27-05-2015.

महोदय,  
उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिए एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 ( ₹ सात करोड़ पचासी लाख अठ्ठाईस हजार सत्तानव) मात्र का भुगतान संदर्भित पत्र द्वारा किया जा चुका है, जिसका I.T.R. No. SBIN215147701748 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

R.H. 3240/222111 15/7/15

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(वाई०एन० राजवंशी),  
अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
देहरादून।

31/7  
7-15

कानूनी फ्रीड  
31/7  
31/7

पत्रांक 1687 / एन०पी०वी०

दिनांक 6/6/2015.

- प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 1- महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओवरॉय मोर्टर्स, सहारनपुर गंड़, माजरा देहरादून।
  - 2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
  - 3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
  - 4- प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।
  - 5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लो०नि०वि०, देहरादून।
  - 6- मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
  - 7- अधीक्षण अभियन्ता 12 में वृत्त लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2), पिथौरागढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि०, अधीनस्थ खण्डों को अनुदान अर्जित करने का कष्ट करेंगे।

6/7/15

11/6/15

11/6/2015 दि० 9-6-2015

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
देहरादून।

आपका पत्र दिनांक 31/7/15 को प्राप्त हुआ है।

प्रमुख लो० नि० वि०  
पिथौरागढ़

अधीक्षक अभियन्ता  
रूपेश वृत्त लो०नि०वि०



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून



Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand  
Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-mail: [ceedpwdddn@rediffmail.com](mailto:ceedpwdddn@rediffmail.com)

पत्रांक / एन०पी०वी० दिनांक 23/05/2015  
सेवा में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग,  
इंदिरा नगर, फॉरैस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि के लिये आवंटन

संदर्भ - प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून का पत्रांक 409/25 वजट-टी०सी० (एन०पी०वी० एवं प्रतिकर भुग-रा०से०)/2015-16, दिनांक 18-05-2015.

महोदय, उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की सड़कों के लिये एन०पी०वी०/क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य देय धनराशि ₹ 7,46,28,097.00 ( ₹ सात करोड़ छियालीस लाख अठ्ठाईस हजार सत्तानब्बे) मात्र का भुगतान संलग्न सूची के अनुसार ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से किया गया है।

1. एन०पी०वी० भुगतान हेतु	₹	4,55,16,177.00
2. क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹	1,35,30,206.00
3. पथ वृक्षारोपण के भुगतान हेतु	₹	1,55,36,879.00
4. मलवा निस्तारण	₹	44,855.00
	योग	₹ 7,46,28,097.00

अर्थात् कुल ₹ 7,46,28,097.00 मात्र आई०डी संख्या CC0100157105150043 के माध्यम से दिनांक 23-05-2015 द्वारा **Compensatory Afforestation Fund(CAF), Uttarakhand S B A/c No. 037100101025229** कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में देय आपको प्रेषित किये जा रहे हैं। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति भी संलग्न की जा रही है।

संलग्न - 1- आई०डी संख्या CC0100157105150043 की छायाप्रति।  
2- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
देहरादून।  
दिनांक 23/05/2015.

पत्रांक 1346 / एन०पी०वी०  
प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -  
1- महालेखाकार, लेखा एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, ओवरॉय गेटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।  
2- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।  
3- आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।  
4- प्रमुख अभियन्ता, उत्तराखण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून।  
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लो०नि०वि०, देहरादून।  
6- मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-2, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।  
7- अधीक्षण अभियन्ता वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, सिविल वृत्त अल्मोड़ा (1)/नैनीताल (2)/  
विधौसगढ़ (3)/हल्द्वानी (4)/गोपेश्वर (7)/देहरादून (9)/पौड़ी (12)/लो०नि०वि०  
अधीनस्थ खण्डों को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करेंगे।

196  
615  
1-6-15  
11019  
1-2-15

पत्रांक 1346/323/10/2015 का 1-2-15  
प्रतिलिपि: समस्त 11/12 के कामों को तब तक नष्ट न करने का अनुरोध किया जाता है।  
का 201246 काफौरी देय प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,  
देहरादून।  
दिनांक 23/05/2015

e-PayOrder Details  
e-PayOrder Number CN36244196  
Debit Status Success  
Scheduled Time 27-May-2015 12:00 AM IST

27-May-2015

Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal  
Seven Crores Forty Six Lakhs Twenty Eight  
Thousand Ninety Seven only 7,46,28,097.00

00000010901749156

DEHRADUN  
"CN36244196"

1162085FTPUSER  
Maker

Jagat Singh Chauhan  
Authorizer J

010027051542796

Counterfoil Description	E01002127051542794		
Transaction Type	NEFT Funds transfer		
Debit Account Details			
Account No.	Branch	Amount	
00000010901749156	DEHRADUN	7,46,28,097.00	
Credit Account Details			
Beneficiary Name/Account No.	Bank/Branch/IFSC Code	Amount	Credit Status UTR No.
Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal/037100101025229	NEW DELHI LODHI COMPLEX/CORPORATION BANK/CORP0000371	7,46,28,097.00	Fund settled by RBI with beneficiary Bank SBIN215147701740

*फोटो प्रमाणित*

सहायक अभियन्ता  
प्रतिष्ठान  
पिरोरावड





सिखाक से गेला (सीगांग)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-03-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6110700635
MoEF/SG File No.	1(64)/15
Location.	UTTARANCHAL
Address.	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501Pithoragarh
Amount(in Rs)	1303048/- ✓

Amount in Words :Thirteen Lakh Three Thousand and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110700636 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 20-03-2024

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6110700636
MoEF/SG File No.	1(64)/15
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PD PWD PITHORAGARH GHANTAKARAN DISTT PITHORAGARH 262501 Pithoragarh
Amount(in Rs)	1303048/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Three Thousand and Forty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896110700636 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027


• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

सिखाक से गेला 16-2-24

  
Executive Engineer  
Provincial Divn. P.W.D.  
Pithoragarh  
Code No.- 1112

सिखाक से गेला 16-2-24

  
Executive Engineer  
Provincial Divn. P.W.D.  
Pithoragarh  
Code No.- 1112

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfo\_pithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-225234

पत्रांक- 411 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 जुलाई, 2022।

सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता,  
प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वी0,  
पिथौरागढ़।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रांतीय खण्ड लो0नि0वी0 पिथौरागढ़

2911  
पत्रांक 221/1/022  
दिनांक 22/7/2022  
छाड़ल नं० 22/1/1022

विषय- ✓ जनपद, पिथौरागढ़ में चण्डाक से मैइला तल्लीगांव मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की नवीन संशोधित दर के अनुसार धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव सं०: FP/OK/ROAD/10700/2015)।

संदर्भ- भारत सरकार की पत्र सं० 5-3/2011-FC दिनांक 06.01.2022।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा एन0पी0वी0 के दरों में संशोधन किये जाने के क्रम में एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार संशोधित धनराशि जमा की जानी अनिवार्य है। अतः उक्त के क्रम में एन0पी0वी0 की नवीन दरों के अनुसार संशोधित डिमान्ड नोट आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र० सं०	मद	इकाई	दर	कुल धनराशि	पूर्व में जमा धनराशि	जमा किये जाने योग्य शेष धनराशि (in Rs.)
1	एन0पी0वी0	1.935 हे०	1372410/- (ईको क्लास-VI) घनत्व 0.4	2655613.35/-	1352565/-	1303048.35 या 1303048.00

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर भारत सरकार के सन्दर्भित आदेश के क्रम में शेष धनराशि नियमानुसार कैन्या कोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।

डा. प्रभागीय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

1/0  
22/7/22  
22/7/22

ग्राम- तडीगाँव

उद्धरण/नकल खतौनी (गैर जमींदारी विनाश)  
रा० उप निरी० क्षेत्र - धनौड़ा

फसली 1419

श्रेणी- 9(3) कृषि योग्य बंजर भूमि (बंजर काबिल आबाद)

तहसील व जिला पिथौरागढ़।

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम/पिता का नाम और निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	प्रत्येक खाते के गाटे का खसरा नम्बर	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या तराका सारंश इसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाला अधिकारी का पद	विवरण विशेष
1	2	3	4	5	6	7-12	13
35	बंजर काबिल आबाद (उत्तराखण्ड सरकार)	1374 फ०पू०	3 4 6 16 17 ↓ 781 783 797 799 801 803 807 814 818 820 821 837 ↓ 2748 2758 2763 2765 ↓ 3738 3741 3743	0.005 0.005 0.702 0.421 0.071 ↓ 0.216 0.241 0.381 0.241 2.101 1.043 0.411 0.070 0.035 2.387 0.361 0.033 ↓ 0.021 1.314 0.155 0.065 ↓ 0.019 0.144 0.196		राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(H)/2012-13(120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार के क्रम में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के पत्र संख्या-1446/सात-95/2014-15 दिनांक जुलाई 20, 2015 के खसरा नं०-797 रकबा 0.381है०, 799ह० रकबा 0.144है०, 801ह० रकबा 1.981है०, 820ह० रकबा 1.003है०, 821ह० रकबा 0.361है० कुल 3.870है० क्षतिपूर्क पूंजारीयण हेतु वन विभाग के पत्र में हस्तान्तरण/नामान्तरण अमलदस्तावेज किया। ए०अ०र०प० राजस्व उपनिरीक्षक धनौड़ा	
	योग--		397	44.485है०	-		

मे.स.स. लेखा-मि.स.

( गोपाल सिंह कोथिया )  
राजस्व उप निरीक्षक- धनौड़ा  
तहसील व जिला- पिथौरागढ़।  
03/08/2019

सं. 3346/2220/15 दिनांक 20/07/2015  
 जिला कार्यालय, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।  
 प्र. सं. 1446/सात-95/2014-15

क्र. सं.	खेत का नाम	सर्वेक्षण क्र. / माप	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	मालिक	स्वीकृत भूमि का क्षेत्रफल
1	विशाली-पिथौरागढ़-सकल	सकल/सकल	9200 SQ	...	...
2	विशाली-पिथौरागढ़-सकल	सकल/सकल	9200 SQ	...	...
3	विशाली-पिथौरागढ़-सकल	सकल/सकल	9200 SQ	...	...
4	विशाली-पिथौरागढ़-सकल	सकल/सकल	9200 SQ	...	...
कुल			36800 SQ		

राज्य अनुभाग-2 के कार्यालय संख्या-2173/XVIII/2012-15 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध जमाक-01 पर 04 में भूमि का सर्वेक्षण कार्य निर्धारित है जो कि 04 में भूमि के क्षेत्र 36800 SQ. मी. में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ की अध्यक्षता में समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संख्या 24.07.15 तक निर्धारित भूमि आसपास स्थित भूमि के क्षेत्र में हस्तांतरण/नमांतरण की प्रतीति प्रदान की जायेगी।


सहायक जिलाधिकारी पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तांतरण/नमांतरण कर विभाग में करना सुनिश्चित करें।  
 दिनांक जुलाई 16, 2015

मुख्य मंत्री,  
 जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।  
 दिनांक जुलाई 20, 2015

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।  
 संख्या-1446/सात-95/2014-15

- प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-
1. प्रभागीय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
  2. प्रभागीय अधिकारी एवं जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
  3. जिलाधिकारी अभियन्ता, प्रांतीय स्तर, लोक निर्माण विभाग, पिथौरागढ़।
  4. उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
  5. सहायक जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को प्रेषित भूमि के खतर को प्रति हस्त निवेश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग को पत्र में हस्तांतरण/नमांतरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

AE/W/V/2015  
 वृषभ काकर  
 सहायक जिलाधिकारी  
 दिनांक 20/07/2015



प्रेषक,  
पी०के०पात्रो,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  
अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4  
देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2015  
विषय: जनपद-पिथौरागढ़ में चण्डाक-मैडला-तड़ीगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2614/1जी-EP/UK/ROAD/10700/2015 दिनांक 18 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जनपद पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में चण्डाक-मैडला-तड़ीगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पत्र में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.87 हे० सिविल सोयम भूमि पर अतिरिक्त वृक्षों का पथोर्ध्वित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पत्र में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में अपरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित पड़े-रथुनों पर पथोर्ध्वित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मानसरोथ उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र सी०-5-3/2007-एफ० सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का यत्नबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बड़ोत्तरी होती है तो वही हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार ए०पी०वी० तथा दूसरी सभी विधियाँ प्रतिपूर्ति

- पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निष्काय के लेखा संख्या-एफओ बी0-25229, कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्याक-11 मूल सौ0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, फेज 1, लोधी रोड, दई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरांत ही पाथरी की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्रफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आण्ड्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी, क्षतिपूर्क वृक्षाधीन प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य वेय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्ययत्न की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
  7. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
  8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की रिधति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति एवं निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
  9. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन पर्यता प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निगत की जायेगी।

भवदीय

(पी0एम0पी0)

अपर सचिव।

संख्या 157 (1) / X 4 157/64/2018, तद्विनाशित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित श्रेय सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफओआर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एच0आई, उत्तराखण्ड शासन।
4. वन संरक्षण, उत्तरी कुमायूँ वन अलायंस।
5. जिलाधिकारी, विधौनमठ।
6. प्रभागीय वनधिकारी, विधौनमठ का प्रभाग, विधौनमठ।
7. अधिशासी अभियंता, प्राचीन खण्ड, लोक निर्माण विभाग, विधौनमठ।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वयम सिंह)

अपर सचिव।



कार्यालय-नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- 1763 /12-1:देहरादून: दिनांक: 23 मार्च, 2026.

सेवा में,

सचिव,  
वन एवं पर्यावरण  
उत्तराखण्ड शासन।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम तड़ीगांव, तहसील पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक मैला मोटर मार्ग का तड़ीगांव मोटर मार्ग तक विस्तार, निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में चयनित सी०ए० क्षेत्र को संरक्षित वन घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।  
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/10700/2015)

सन्दर्भ :- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2377 /12-1(2) दिनांक 18.02.2026.  
महोदय,

उपरोक्त विषयगत के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकरण पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं इसके लिए चयनित क्षतिपूरक वनीकरण की भूमि जिसका नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया जा चुका है, का विवरण निम्नानुसार है :-

प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	सैद्धान्तिक स्वीकृति की तिथि	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि (हे०)	चयनित भूमि जिसका हस्तान्तरण किया जा चुका है (हे०)	आरक्षित/संरक्षित वन घोषित की जाने वाली भूमि (हे०)
FP/UK/ROAD/10700/2015	जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम तड़ीगांव, तहसील पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक मैला मोटर मार्ग का तड़ीगांव मोटर मार्ग तक विस्तार, निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।	30.03.2015	1.935	3.870	3.870
योग:-					3.870

अतः उपरोक्तानुसार जनपद पिथौरागढ़ में ग्राम तड़ीगांव, तहसील पिथौरागढ़ के अन्तर्गत चण्डाक मैला मोटर मार्ग का तड़ीगांव मोटर मार्ग तक विस्तार, निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि के नव निर्माण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों के लिए हस्तान्तरित कुल 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.870 हे० भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किये जाने हेतु अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी के आलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसे संलग्न कर यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ एस०पी० सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :- 1763 /12-1 (दे०दू०) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा
- प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

(डॉ एस०पी० सुबुद्धि)

प्रमुख वन संरक्षक  
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।